राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक प.16(1)राम/निरी/99/9086 दिनांक 06.11.2000

परिपत्र

अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों से प्राप्त राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा से यह पाया गया है कि अधिकांश न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के मुकाबले निस्तारण काफी कम है, जिसके कारण ग्रामीण काश्तकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जबकि कई प्रकरणों में कानून की सामान्य प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरान्त शीघ्रता से निर्णय लिये जा सकते हैं। राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर जनता को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाया जावे।

लोक अदालतें इसी क्रम में शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम हैं, जिसके ज़रिये पक्षकरों के मध्य आपसी रजामंदी के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। इसी क्रम में मण्डल के पत्र क्रमांक प16(1)राम/निरी/99/4562–4656 दिनांक 13.8.99 के द्वारा लोक अदालतों के ज़रिये राजस्व प्रकरणों के निस्तारण संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए समस्त उपखण्ड अधिकारियों/सहायक जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा राजस्व प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की आशाजनक प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस संबंध में जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ समस्त उपखण्ड अधिकारी/सहायक जिला कलक्टर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार के दिन लोक अदालत के कार्य हेतु आरक्षित करें। यदि उस दिन अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को लोक अदालत का आयोजन करें। लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को रखा जाना चाहिये जिनके पक्षकारों के मध्य समझौता होने की सम्भावना हो। इनमें निम्नांकित प्रकार के प्रकरण लोक अदालत में निपटाये जा सकते हैं :–

1. नामान्तरकरण संबंधी मामलें
2. भूमि विभाजन संबंधी मामले
3. भू–प्रबन्धन से संबंधित इन्द्रात दुरूस्ति के मामले
4. धारा 136 भू–राजस्व से संबंधित प्रकरण
5. धारा 183 (ए), 183 (बी), 183 (सी)काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी मामलें
6. स्टाम्प एक्ट
7. राज्य सरकार एवं निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन विवाद
8. सीमा व रास्ते संबंधी मामले
9. एक ही कुटुम्ब व सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण

   नोट : राजस्थान के सभी जिलों में नगर पालिका/नगर परिषद/नगर सुधार न्यास क्षेत्रों व जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित

राजस्व भूमि का लोक अदालत के माध्यम से केसेज निर्णित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित हैं :–

1. लोक अदालत के आयोजन की विस्तृत जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जावे।
2. पक्षकारों के अभिभाषकों को भी इस बात अवगत करा दिया जावे।
3. अभिभाषकगण व सलाहकार समिति के सदस्यों से आग्रह किया जाकर प्रकरणों का न्यायोचित हल तलाशा जावे।

अतः राजस्व मण्डल द्वारा लोक अदालतें आयोजित करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 13.8.99 में विहित प्रक्रियानुसार इस हेतु निश्चित दिवसों पर लोक अदालतें आयोजित कर अधिकाधिक राजस्व प्रकरणों का निस्तारण आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे।

राजस्व मण्डल को प्रेषित किए जाने वाले अगले द्विमासिक अर्द्धशासकीय पत्र में लोक अदालत के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के नवम्बर 2000 तक किए गए निस्तारण का न्यायालयवार विवरण आवश्यक रूप से अंकित किया जावे तथा भविष्य में आगे भेजे जाने वाले प्रत्येक द्विमासिक अर्द्धशासकीय पत्र में प्रत्येक माह की सूचना दर्शाते हुए 7 तारीख तक मण्डल को अवश्यमेव प्रेषित की जावे।

(बी.एल.जैमन)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर